भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2927
27 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

तेलंगाना राज्य में ईसीएचएस के लाभार्थी

2927. श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) का ब्यौरा क्या है ;
(ख) तेलंगाना से भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है ; और
(ग) तेलंगाना से भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति की गई कुल राशि कितनी है ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) : भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) अप्रैल 2003 में शुरू की गई थी ताकि भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) और उनके आश्रितों को पूरे देश में मौजूद सशस्त्र बलों की मौजूदा चिकित्सीय अवसंरचना और निजी पैनलबद्ध/सरकारी अस्पतालों का उपयोग करते हुए गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके। इस योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर पर 30 क्षेत्रीय केंद्र (आरसी) और नेपाल में स्थित 06 पॉलिक्लिनिक सहित 433 पॉलिक्लिनिक (पीसी) और 3158 पैनलबद्ध चिकित्सा अस्पताल हैं जिसके लगभग 55 लाख लाभार्थी हैं।

इस योजना में रक्षा लेखा नियंत्रक से पेंशन आहरित करने वाले सभी भूतपूर्व सैनिकों सहित निशक्तता/परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले और उनके आश्रित, सदस्यता के लिए पात्र होते हैं। उक्त सदस्यता 01 अप्रैल 2003 से सभी पेंशनभोगियों के लिए अनिवार्य कर दी गई है और पूर्व में सेवानिवृत्त होने वालों के लिए यह वैकल्पिक है। वर्षों से, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) की सदस्यता प्रादेशिक सेना (टीए), रक्षा सुरक्षा कोर (डीएससी),

वर्दीधारी भारतीय तटरक्षक (आईसीजी), सेना नर्सिंग सेवा (एमएनएस) विशेष सीमांत बल (एसएफएफ) नेपाल अधिवासी गोरखा (एनडीजी) के पेंशनभोगियों, पूर्णकालिक एनसीसी अधिकारियों, पात्र सेना डाक सेवा (एपीएस) के पेंशन भोगियों, असम राइफल्स के पेंशन भोगियों, द्वितीय विश्व युद्ध (डब्ल्यू डब्ल्यू) के पूर्व सैनिकों, अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों (एसएससीओ), आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों (ईसीओ) एवं समय से पूर्व सेवानिवृत्त होने वालों को प्रदान की गई है।

ईसीएचएस का सदस्य बनने के लिए अंशदान राशि भिन्न-भिन्न है जो रंगरूट के लिए 30,000/-रू. और अधिकारियों के लिए 1,20,000/- रू. है। 01 जनवरी 1996 से पहले सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं एवं आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों में नि:शक्त होने वालों सहित युद्ध में नि:शक्त होने वालों को ईसीएचएस के अंशदान से छूट प्राप्त है।

(ख): तेलंगाना राज्य में कुल 66,650 ईसीएचएस लाभार्थी पंजीकृत हैं ।

(ग): विगत तीन वित्तीय वर्षो के दौरान तेलंगाना में ईसीएचएस लाभार्थियों के कैशलेस उपचार के लिए ईसीएचएस पैनलबद्ध अस्तपालों को प्रदान की गई कुल प्रतिपूर्ति राशि और गैर-पैनलबद्ध अस्पतालों में उपचार करवाने हेतु प्रत्येक ईसीएचएस लाभार्थी को भुगतान की गई प्रतिपूर्ति राशि एवं अनुपलब्ध (एनए) दवाइयों की खरीद का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**प्रतिपूर्ति राशि (करोड़ रू. में)**
(i)	2020-21	85.34
(ii)	2021-22	67.57
(iii)	2022- 23 (15.03.2023 तक)	65.18
	कुल	**218.09**

****